1/8/23	पत्रावली पेश हुई। मूल अपील शामिल है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एक वाजवा की मूल अपील 63/21 गुणावगुण के आधार पर निर्णित न कर वकील अपीला-2 की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थी। अपीला-2 का कहना है कि उनके वकील साहब अन्य अदालतों में व्यस्त रहने के कारण नियत दिनांक 28/3/23 को उपस्थित उप० नहीं हो सके किन्तु बाद में आए तब तक अपील D.D कर दी गई। NEXT →	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह सही है की मूल अपील की गत पेशी पर वकील अपीलार्थी की अनुपस्थिति व स्थगन की अर्जी की हमारी विनम्र राय में वकील की लापरवाही मात्र से किसी पक्षकार को उसके हक-हकूकों के संदर्भ में उसको गुणावगुण के आधार पर न सुना जाना न्यायोचित नहीं रहता है। इसके अलावा किसी पक्षकार की कानूनी मालूमात की कमी के कारण मात्र टैक्निकल ग्राउण्ड को आधार बनाया जाकर उस प्रकरण के मूल गुण को अनदेखा किया जाना भी हमारे ख्याल से न्यायोचित नहीं रहता है। मूल अपील का अभी गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना अभी शेष है। लिहाजा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मद्देनजर यह प्रार्थना-पत्र बाजवा स्वीकार किया जाता है। मूल अपील पुनः नम्बर पर ली जावे। यह बाजवा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति शामिल मूल अपील रहे। आज्ञा सुनाई गई। [signature] ...2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	